राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ. 4(21)ग्रावि / ग्रुप–3 / एमआईएस / 09–10 जयपुर, दिनांक 15 DEC 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान,

सागरत राजस्थान।

विषय ऑनलाईन एमआईएस ऐन्ट्री के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्यस्तरीय एमआइएस नॉडल ऑफिसर्स की दिनांक 26.11.11 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है :

1 Material and activity master data base जो पूर्व में राज्य स्तर से अपलोड हो रहे थे, अब जिले के डीपीसी लोगिन में उपलब्ध है। अतः इनकी फीडिंग जिला स्तर से ही की जानी है।

2. ऐसे कार्य जो वित्तीय वर्ष 2009--10 एवं इससे पहले शुरू हुये है परन्तु पूर्ण नहीं हुये है, एवं प्रगतिरत भी नहीं है, उनको Partial close किया जा सकता है। इसके लिए उस कार्य पर श्रम एवं सामग्री मद पर होने वाले वास्तविक व्यय एवं कार्य के विवरण की प्रविष्टी की जावे। इसके अतिरिक्त Completion Certificate यदि जारी हो गया है, तो उसे भी अपलोड किया जा सकता है। Partial closure का ऑपशन पी ओ लॉगिन में WORK CLOSURE नाम से उपलब्ध है।

3 सामग्री बिल जिनके आपूर्तिकर्ता के टिन नबर उपलब्ध नहीं हो उनकी एन्ट्री के लिय वेन्डर नाम 'Local' सलेक्ट कर उस बिल की एन्ट्री की जा सकती है।

4 कार्यो की कार्य से पूर्व, मध्य एवं पूर्ण की स्थिति की फोटो भी अपलोड की जानी है। जो कार्य प्रगतिरत है उनके पूर्व व मध्य की तथा पूर्ण हो चुके कार्यो की पूर्व, मध्य व पूर्ण की स्थिति की फोटो अपलोड कराने की कार्यवाही की जावे। यह ध्यान में रखा जावे कि प्रत्येक फोटो की साईज 25 केबी से अधिक नही हो। यदि फोटो की साईज 25 केबी से अधिक है तो उसे अपलोड करने से पूर्व reduce कर 25 केबी तक कर लिया जावें।

5. ऑन लाईन एमआईएस फीडिंग के दौरान यदि मैटेरियल का नाम गलत फीड कर दिया है तो उस मैटेरियल नाम को संशोधित (edit) किया जा सकता है, यदि बिल की ऐन्ट्री में भूगतान की दिनांक की ऐन्ट्री नही की गई है।

6. योजनान्तर्गत जिन श्रमिकों के आधार नंबर (AADHAR UID) प्राप्त हो गये है, उनकी एन्ट्री भी श्रमिक डिमाण्ड की एन्ट्री करते समय की जावे। इसकी रिपोर्ट भी वेबसाईट पर उपलब्ध है

7. कुछ जिलों द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009--10 के बिल वाउचर्स की एन्ट्री अभी बकाया है। इस बारे में जिले में उपरोक्त वित्तीय वर्षों की कितनी राशि की एन्ट्री शेष है, पंचायत समितियों के नाम जिनमें एन्ट्री शेष है, एन्ट्री नहीं हो पाने के कारण एवं कितने दिनों के लिए एन्ट्री खुलवाई जावे, के बारे में 19.12.2011 तक मुख्यालय को अवगत कराने का श्रम करें, ताकि इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

8 योजनान्तर्गत e-FMS (Electronic Fund Management System) राज्य में लागू किया जाना है। इसकी प्रारम्भिक तैयारियों के लिये श्रमिकों के खातों को बैंक से Vefify किया जाना है। e-FMS को लागू करने के लिए पी.ओ. लोगिन से निम्न प्रक्रिया पूर्व में पूर्ण किया जाना आवश्यक है :–

(i) "Download Panchayat wise MGNREGA bank account detail for verification" ऑपशन पर श्रमिकों के बैंक खातों का विवरण उपलब्ध है। इस ऑपशन से श्रमिकों के बैंक खातों का विवरण का प्रिन्ट लेकर श्रमिकों के खातों के विवरण यथा खाता संख्या, खातेदार का नाम, शाखा का नाम एव IFSC code आदि का मिलान बैंक से किया जावे।

(ii) खातों के मिलान के पश्चात "Update applicants bank details as per downloaded format" ऑपशन द्वारा श्रमिको के बैंक खातों को अपडेट किया जावे।

(iv) अपडेट करने के पश्चात "Freeze workers account" ऑपशन द्वारा खातों को Freeze किया जावे। Freeze के पश्चात श्रमिको के खातों को अपडेट किया जाना संभव नही होगा। अतः Freeze करने से पूर्व बैंक खातों का दोबारा गिलान करवाया जावे।

उपरोक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

भवदीय

14/12/11

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. एमआईएस मैनेजर, ईजीएस, समस्त राजस्थान।

अति.आयुक्त (प्रथम), ईजीएस